रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 234] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 1981/आषाढ़ 10, 1903
No. 234] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 1981/ASADHA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1981

सीमाशुल्क

सा० का० नि० 421 (अ) :—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के उपखण्ड (1) के अनुसरण में और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 102 सीमाशुल्क सा०का०नि० सं० 260 (अ), तारीख 1 अप्रैल, 1981 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह अवधारित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अनुसूची के स्तंभ (2) में

विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी करेंसी से भारतीय करेंसी में या भारतीय करेंसी से विदेशी करेंसी में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की दरें वे होंगी जो उसके सामने उसके स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित हैं ।

अनुसूची

क्र०सं	विदेशी करेंसी	100 रु० के समतुल्य की विदेशी करेंसी की विनिमय दर
1	2	3
1.	आस्ट्रियाके शिलिंग	189.70
2.	आस्ट्रेलिया के डालर	9.855
3.	बैल्जियम के फ्रैंक	440.50
4.	कनाडा के डालर	13.595
5.	डेनमार्क के क्रोनर	84.70
6.	जुर्मन मार्क	26.95
7.	डच गिल्डर	29.94
8.	फ्रांस के फ्रैंक	64.40
9.	हांग-कांग के डालर	62.70
10.	इतालवी लीरा	13367
11.	जापानी येन	2548
12.	मलाया के डालर	26.25
13.	नार्वे के क्रोनर	67.50
14.	पौंड स्टरलिंग	5.8550
15.	स्वीडन के क्रोनर	57.25
16.	स्विटरजरलैंड के फ्रैंक	22.87
17.	संयुक्त राज्य अमेरिका के डालर	11.385

[सं० 171–सीमाशुल्क/फा०सं० 503/3/81–सीमाशुल्क–6]

के० कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 1981

CUSTOMS

G.S.R. No.421(E):—In pursuance of sub-clause(i) of clause(a) of sub-section(3) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 102-Customs [G.S.R.No.260 (E)] dated the 1st April, 1981, the Central

Government hereby determines that, for the purpose of section 14 of the said Act, the rate of exchange for conversion of each of the foreign currency specified in column (2) of the Schedule below into Indian currency or Vice-versa, shall be the rate mentioned against it in the corresponding entry in column (3) thereof.

SCHEDULE

S. No.	Foreign Currency	Rate of exchange of foreign currency equivalent to Rs. 100
(1)	(2)	(3)
1.	Austrian Schillings	189.70
2.	Australian Dollars	9.855
3.	Belgian Francs	440.50
4.	Canadian Dollars	13.595
5.	Danish Kroners	84.70
6.	Deutsche Marks	26.95
7.	Dutch Guilders	29.94
8.	French Francs	64.40
9.	Hong Kong Dollars	62.70
10.	Italian Lire	13367
11.	Japanese Yen	2548
12.	Malayasian Dollars	26.25
13.	Norwegian Kroners	67.50
14.	Pound Sterling	5.8550
15.	Swedish Kroners	57.25
16.	Swiss Francs	22.87
17.	U.S.A. Dollars	11.385

[No. 171-Cus/F.No. 503/3/81-Cus.VI.]

K. KUMAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981